आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

02/07/21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 184/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भू–दाता श्री देव शरण सिंह, पिता–मुदाकन सिंह, ग्राम–करहरी, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
26	142	01 कटटा	उतर–परती कदीम दक्षिण–नीज पूरब–नीज पश्चिम–रामेश्वर सिह

मौजा–करहरी, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा नोटिस तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारक कब्जाधारी गोपाल सिंह, साधुसर सिंह (केता) का नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा नोटिस तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। भूदाता एवं कब्जाधारी (केता) न्यायालय में उपस्थित नही हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दायर किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर अंकित है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतियान उपलब्ध नही है। किस्म धनहर है। प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा–10 डी० है। गोपाल सिंह, पिता–ननहु सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है जो केवालादार है। वर्तमान में प्रस्तावित भूमि पर साधुसर सिंह दखल कब्जा में है जो केता है। भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1050 दिनांक में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे संबंधित मामलों में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 (5) के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

02/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

02/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।